

प्रयोजनमूलक हिन्दी की अद्यतन स्थिति

(आर्थिक विकास के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. मनीष खरे

सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर

संक्षिप्त

प्रयोजनमूलक हिन्दी भाषा की आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आर्थिक विकास के लिए शिक्षा में भाषा की सरलता महत्वपूर्ण है। मानव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भाषा है। भाषा संस्कृति की संवाहिका है। किसी भी देश का प्रतिनिधित्व उस देश की संस्कृति और भाषा होती है। हिन्दी का जन्म इस गौखमयी भारत-भूमि के उदर से हुआ है इसलिए इसमें भारत की आत्मा सन्निहित है। हिन्दी की वाणी में भारत बोलता है भारतीय संस्कृति बोलती है।

शब्द खोज – गौखमयी, भारत-भूमि, मानक

प्रस्तावना

आधुनिक युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व प्रस्फुटन एवं प्रचलन के कारण हिन्दी भाषा की वृत्तियाँ प्रवृत्तियाँ एवं प्रायोगिक स्तरों में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होने लगी। फलस्वरूप हिन्दी के विविध आयाम स्पष्टतः परिलक्षित होने लगे। साथ ही सर्वथा नया प्रयोग धर्मा स्वरूप उभरकर सामने आया जो प्रयोजनमूलक हिन्दी कहलाया।

आज के युग में हर भाषा के मोटे तौर पर दो रूप होते हैं, पहला उसका साहित्यिक रूप और दूसरा- प्रयोजनमूलक, प्रयोजनी या कामकाजी रूप। हिन्दी में मामलों में भी, जहाँ उसका सम्पन्न साहित्यिक रूप है, वहीं उसका दूसरा काम-काजी रूप भी है। [1] लगभग हर भाषा में पहले उसका साहित्य विकसित हुआ है और बाद में कामकाजी रूप। आज की दुनिया में जबकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार, वाणिज्य आदि की तेजी से प्रगति हो रही है, ऐसे में भाषा के प्रयोजनमूलक रूप का प्रयोग उसके साहित्यिक रूप के इस्तेमाल से कहीं अधिक आवश्यक हो जाता है। इस बात को हम एक उदाहरण देकर स्पष्ट करेंगे- आपको ऐसे अनेक अहिन्दी-भाषी मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्हें हिन्दी का ज्ञान है और वे रोजमर्रा के विभिन्न विषयों पर हिन्दी में लिख, बोल, पढ़कर अपना काम भी चला लेते हैं। किन्तु यदि आप उनसे हिन्दी-साहित्य के विषय में कुछ पूछें तो हो सकता है कि वे आपको कुछ भी न बता पाएँ। [3] वास्तविकता यह है कि हिन्दी जानने वाले अधिकांश हिन्दी-भाषियों और अहिन्दी भाषियों को हिन्दी-साहित्य का विशेष ज्ञान नहीं होता। फिर वे कौन-सी हिन्दी जानते हैं इसका उत्तर है- प्रयोजनमूलक कामकाजी-हिन्दी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है- कामकाजी हिन्दी अर्थात् वह हिन्दी जो सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक व लेखा संबंधी शब्दावली को सरलतम रूपों द्वारा अभिव्यक्त हो। प्रशासन की भाषा, आम बोलचाल की भाषा से थोड़ी सी भिन्न होती है। दफ्तर की नौकरी में जो भी नया

आदमी आता है वह भाषा के इसी काम-काजी रूप को अपनाता चलाता रहता है। कामकाजी हिन्दी भाषा के मानकीकृत तथा शुद्ध रूप पर सर्वाधिक जोर देती है इसलिए शब्दों को पारिभाषिक मानक रूप का स्वरूप हमेशा एक समान रहता है।

1951 में शिक्षा मंत्रालय में एक हिन्दी एकक की स्थापना हुई जो बाद में प्रभाग में परिवर्तित हुआ। राजभाषा आयोग तथा संसदीय राजभाषा समितिकी सिफारिशों के फलस्वरूप मार्च 1960 को शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना हुई। निदेशालय को केन्द्रीय सरकार के सभी असांविधिक मैनुअलों, फार्मों, नियमों का अनुवाद सौंपा गया। निदेशालय ने कई शब्दकोशों, द्विभाषिक शब्दकोशों और हिन्दी विश्वकोशों का संकलन, अहिन्दी भाषियों और विदेशियों के लिए हिन्दी पाठ्यमालाएँ तैयार की हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना निदेशालय द्वारा 1961 में की गई। [2]

हिन्दी की अभिवृद्धि और प्रसार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भी महत्वपूर्ण कार्य रहा है। हिन्दी में समाचार-पत्रों को सूचनाएँ देना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गतिविधियों पर समाचार चित्र तथा वृत्तचित्र तैयार करना, आकाशवाणी से हिन्दी प्रशिक्षण तथा हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान कराने के लिए हिन्दी के पाठों का प्रसारण आदि के द्वारा हिन्दी को सर्वप्रचलित भाषा बनाने का प्रयास हो रहा है। कम्प्यूटर में देवनागरी लिपि तथा भारतीय भाषाओं के प्रयोग की सुविधाओं के विकास के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा विशेष कदम उठाए गए हैं।

इन सभी के अलावा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ अन्य आदेश भी दिए हैं जैसे- प्रतिवर्ष अंग्रेजी टाइपराइटर की तुलना

में हिन्दी के 25 प्रतिशत टाइपराइटर खरीदे जाएँ[4] । सभी कार्यालयों में हिन्दी पुस्तकालय होने चाहिये । समारोहों के निमंत्रण द्विभाषिक अर्थात् हिन्दी तथा अँग्रेजी में होने चाहिए । कार्यालय के तार का पता हिन्दी तथा अँग्रेजी में पंजीकृत किए जाएँ । इसी तरह यह भी निर्देश कार्यालयों को दिया गया है कि केन्द्रीय कार्यालयों में काम आने वाली फाइलों, विजिटिंग कार्ड, रबर की मुहरे, समय सूचक बोर्ड, नाम-पट्ट, पत्रशीर्ष आदि भी अँग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में हो । 14 सितंबर को हिन्दी दिवस मनाने का अनुदेश भी हिन्दी के प्रभावशाली बढ़ते कदम की सशक्त पहचान है ।

निष्कर्ष –

अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास में प्रयोजनमूलक हिन्दी भाषा की विशेष भूमिका है। वैश्वीकरण के इस दौर में हिन्दी अपने प्रभावपूर्ण स्वरूप के साथ समाज में साहित्य में, देश में, विदेश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन में, सफलता के नये कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है । राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा और अन्तर्राष्ट्रीयभाषा साहित्यिक या रचनात्मक भाषा के रूप में हिन्दी अपने सर्वोच्च स्थान पर पहुँच गयी है। और साथ सामाजिक घरातल पर आर्थिक पक्ष को मजबूत करते हुए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

आर्थिक पक्ष को मजबूती और द्रढता हिन्दी से ही मिली है चाहे वो पर्यटन उद्योग हो या अन्तर्राष्ट्रीयभाषा दोनों ही दृष्टि से हिन्दी का अतुलनीय योगदान है।

सन्दर्भ :

1. भाई योगेन्द्र जीत – हिन्दी भाषा शिक्षण
2. हिन्दी भाषा और विज्ञान बोध – म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
3. राजस्थान पत्रिका जयपुर –08 सितम्बर 1996
4. मुक्तिबोध –अषोक चक्रधर